हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अनुभाग–बी

संख्याः एस0जे0ई0 बी–ए(3)1/2023. दिनांक शिमला –171002, 9 मई, 2023

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0–बी–सी (1)2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम 2010 अधिसूचित किए गए हैं। तदुपरान्त अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0–बी–एफ(9)4/2018 दिनांक 26 मार्च, 2020 व अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0–बी–एफ (4)3/2019 दिनांक 8 अप्रैल 2022, द्वारा उक्त नियमों में संशोधन किए गए हैं।

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0–बी–सी (1)2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 4 (2) 4(3) नियम 7, नियम 8 (2) व 8 (3) में निम्नलिखित संशोधन करने के सहर्ष आदेश देते हैं :–

नियम 4 पात्रताः–

(2) दिव्यांग राहत भत्ताः– ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनको चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 की उपधारा (यग) की अनुसूची में "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" के अन्तर्गत दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो तथा जो स्वयं या उनके अभिभावक सरकारी/अर्ध–सरकारी/निगमों/ बोर्डों इत्यादि में कार्यरत न हों व अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त न कर रहे हों तथा आयकर दाता न हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा की शर्त के अपंग राहत भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(3) विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी पेंशन– ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जो सरकारी/अर्ध–सरकारी/निगमों/ बोर्डों

इत्यादि में कार्यरत न हों व अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त न कर रही हों तथा आयकर दाता न हों, बिना किसी आय सीमा की शर्त के पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

नियम 7 — **पेंशन / भत्ता की दरें :–**

(I) 60–69 आयु वर्ग की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन 1500 /– रू0 प्रतिमाह देय होगी और 60–69 आयु वर्ग के पुरूषों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 / – रू0 प्रति माह देय होगी।

(II) विलोपित

(III) यथावत

(IV) (क) विधवा / परित्यक्त / एकल नारी पेंशनरों को 1500 / – रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी।

(ख) दिव्यांग राहत भत्ता (40–69 प्रतिशत दिव्यांगता) प्राप्त करने वाली महिलाओं को भत्ता 1500 / – रू0 प्रति माह व पुरूषों को 1150 / –रू0 प्रतिमाह देय होगा।

(V) यथावत

(VI) (क) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता प्राप्त कर रही महिलाओं को 1500 / –रू0 प्रतिमाह व पुरूषों को 1000 / –रू0 प्रतिमाह देय होगा।

(ख) ट्रांसजैण्डर पेंशन 1000 / –रू0 प्रति माह देय होगी ।

नियम 8 — **8 (2) व 8 (3):– वृद्धावस्था पेंशन, विधवा / परित्यक्ता / एकल नारी पेंशन , दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता, ट्रांसजैन्डर पेशन प्राप्त करने की प्रकिया.–**

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राज्य योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने हेतु समस्त आवेदक अपने प्रार्थना–पत्र के साथ मूल निवासी आयु प्रमाण पत्र बचत खाता, आधार नम्बर राशन कार्ड दस्तावेज

चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्धता की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

आदेश द्वारा

एम0 सुधा देवी
सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांन संख्याः एस0जे0ई0-बी-ए0-(3)1/2023 दिनांक शिमला -2, मई, 2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. समस्त प्रधान सचिव/सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
4. प्रधान निजी सचिव व विशेष सचिव, माननीय मुख्य मंत्री हि0 प्र0 सरकार, शिमला-2.
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उप-महालेखाकार हि0 प्र0 शिमला-2
6. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधीश/ समस्त विभागाध्यक्ष, हि0 प्र0।
7. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हि0 प्र0, शिमला-9 को उनके पत्र संख्या 4-3(4)/2012एस.ओ. एम.(वैल)पैंशन नियम-वी-6838, दिनांक 27-04-2023 के सन्दर्भ मे सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों को सूचित करने बारे।
8. निजी सचिव, समस्त मंत्री/मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव, हिमाचल प्रदेश शिमला-2।
9. गार्ड फाईल।

9.5.23

(जीवन सिंह)
संयुक्त सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

-249

No. SJE-B-A009/6/2023-SJ&E
Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment

From

Secretary (SJ&E) to the
Govt. of Himachal Pradesh
Shimla-2

To

The Director,
Directorate of SCs, OBCs, Minorities & Specially Abled,
Himachal Pradesh, Shimla-9.
Shimla-9
Dated: Shimla the 12th February, 2024.

Subject: 1. Reg. providing top-up on existing Social Security Pensionto all females to uniform Rs. 1500/- per month.

2. Regarding allocation of additional budget in "Indira Gandhi Mahila Samman Nidhi Yojna, 2023"(IGMSNY).

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 4-3(4)2012-SOM(WEL) Pension Rules-VII-631, dated 05-01-2024 and letter No.4-6(15)-2023-ESOMSA-IGMSNY-966, dated 05-02-2024 on the subject cited above and to say that the proposal for the additionality regarding the providing of top-up on existing SSP has been taken up with the Finance Department, who has provided additionaity and observed as under:-

"Examined in consultation with Planning Department. Finance (Budget) Department agrees to provide an additionality of ₹1012.11 lakh (Rupees ten crore twelve lakh eleven thousand) only for implementation of Social Security Pension (Female) at enhanced rates i.e. ₹1500/-per month for the month of February and March, 2024 as per the details given below subject to the condition that AD will ensure to get this amount regularized through Supplementary Demand for Grants for the financial year 2023-24:-

(₹ in lakh)

Demand No.	*HoA*	*SOE (s)*	*Additionality*
19	*2235-60-102-01-S00N (Old Age Pension)*	*Social Security Pension*	*841.22*
19	*2235-60-102-02-S00N (Widow Pension)*	*Social Security Pension*	*145.41*
31	*2235-60-796-01-S00N (Old Age Pension)*	*Social Security Pension*	*25.48*
		Total	*1012.1*

Similarly, for the allocation of additional budget for "Indira Gandhi Mahila Samman Nidhi Yojna, 2023 had also been referred to the Finance Department and the Department of Planning has observed as under:-

"The proposal of AD (SJ&E) regarding proviing of additionality for Indira Gandhi Mahila Samman Nidhi Yojana has been examined in the Planning Department. AD is requested to meet the requirement for the remaining period of the current financial year out of funds (1.20 Crore) already available with it.

(This has the approval of Pr. Secretary (Planning) ot the GoHP)"

You are, therefore, requested to take necessary action in the matter accordingly.

Yours faithfully,

12.2.24

(Jeewan Singh)
Joint Secretary (SJ&E) to the
Govt. of Himachal Pradesh